# प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में "भारतीय रेल के चयनित स्टेशनों पर स्टेशन लाइन क्षमता में वृद्धि" के मामले पर संघ सरकार के रेल मंत्रालय के लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वह हैं जो अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि हेतु नमूना जांच के दौरान देखे गये, साथ ही वह मामले जो पूर्व वर्षो में ध्यान में आये, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचित नहीं किये जा सके थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।